73

BEFORE THE BOARD OF REVENUE

GWALIOR

Review Petition No. ---------- Of 2017

पुनर्विलोकन/भिण्ड/भू.रा./2017/2163

Vidhyaram adopted son of Shri Badri Prasad R/o Purani Basti Bhind At present Ward No.24, Jamna Road, Bhind Tahsil and District Bhind (M.P.).

श्री Pallav Tripathi Adv. द्वारा आज 10/7/17 प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 10-7-17

------**Petitioner**

Vs.

1- State of Madhya Pradesh,

Through Collector,

Bhind, District –Bhind M.P.

2- Mandir Shri Bhindi Rishi and Ehatmam Pujari Laxmandas R/o Purani Basti Bhind Tahsil and District Bhind (M.P.).

----**Respondents**

Petition for reviewing the order dated 09-06-2017 passed by Shri S.S. Ali, learned Member Board of Revenue in Revision No.1324/2/2017 whereby the appeal has been dismissed on the question of admission.

The humble petitioner most humbly and respectfully submits his petition as under:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III / पुनर्विलोकन / भिण्ड / भू–रा0 / 2017 / 2163

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	